मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च–मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल, 1998 (चैत्र 27, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, श्री रघुवीर सिंह, सदस्य, ग्वालियर जे.सी.मिल में ताला बन्दी से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले के रहली विकासखण्ड में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, खेमसिंह बारमते, कुंवर विजय शाह, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में मलेरिया व खसरे की बीमारी से अनेक मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री कुंवर विजय बहादुर सिंह, अखण्ड, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, चन्दला एवं आसपास के क्षेत्रों में नरभक्षी तेंदुए का आतंक होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम कलबोड़ा की महिला सरपंच के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री मोती कश्यप, ईश्वरदास रोहाणी, अंचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर में पुलिस द्वारा समय पर कार्यवाही न करने से चोरी की घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री रमाशंकर भारद्वाज, सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम झुण्डपुरा में डकैती पड़ने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्रीमती जयश्री बैनर्जी, सदस्य, जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में एक बालिका का उपचार न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(9) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर जिले से अनेक युवतियां गायब होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बच्चन नायक, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, भोपाल में कार्यरत एक फायनेंस कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री बच्चन नायक, सदस्य, सागर जिले के नरियावली पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री रामकिशोर शुक्ल, नेमीचन्द जैन, मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, भोपाल नगर निगम द्वारा जलकर राशि में वृद्धि किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री बाबूलाल गौर, शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रीकल प्रबंधन द्वारा ठेका श्रमिकों का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

—2

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 76-धौहनी (अ.ज.जा.) के सदस्य, श्री छत्रपति सिंह को मार्च-मई, 1998 सत्र की दिनांक 15 अप्रैल, 1998 से 10 मई, 1998 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लल्लूसिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पिपरतरा के मुड़धुवा टोला में विद्युतीकरण कराये जाने;

(2) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम सरबई व रामपुर घाट के बीच केन नदी पर पुल बनाये जाने;

(3) श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर नगर के हनुमानताल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने;

(4) श्री रामकिशन चौहान, सदस्य, रायसेन जिले के –

(क) ग्राम भारकच्छ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ; तथा
(ख) ग्राम गूगलवाड़ा से बकतरा तक सड़क बनाये जाने ; एवं

(5) श्रीमती जयश्री बैनर्जी, सदस्य, जबलपुर नगर के ग्वारीघाट (नर्मदा नदी) पर पुल बनाये जाने ;

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

6. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 10 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

1 घन्टा " सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त सुनिश्चित रोजगार के निर्माण कार्यों को विधायक एवं सांसद की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जाय."

(2) श्री चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

45 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में कृषक बीमा योजना लागू की जाय."

(3) श्री नेमीचन्द जैन तथा श्री मांगीलाल भंडारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

45 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में बहने वाली समस्त नदियों को आपस में जोड़कर एक वाटर ग्रिड बनाया जाय. "

भोपाल :
दिनांक : 16 अप्रैल, 1998

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा